न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2012
RCMS Case No. 2012/00175

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रकाश बाई पत्नि पारसमल जाति ओसवाल निवासी पिपलिया कलां हाल बैंगलोर		1. मनोहरसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़िया तहसील रायपुर 2. गोविन्दलाल उर्फ गोविन्दराम पुत्र छोता उर्फ चोथाराम जाति सिरवी निवासी देवली कलां 3. नाथुसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी देवली कलां तहसील रायपुर 4. ग्राम पंचायत पिपलिया कलां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सी0पी0सी0

उपस्थित :–
श्री मनीष ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री विरेन्द्र सैन, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/03/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत कर पंचायत निगरानी संख्या 30/2011 मनोहरसिंह बनाम पारसमल में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 को निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इसी न्यायालय के समक्ष एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थीया के पति को पक्षकार बनाया गया था, उसी याचिका में अप्रार्थी संख्या 1के रूप में गायत्री देवी पत्नि पारसमल को पक्षकार बनाया गया था एवं उन्हे नोटिस भेजा गया था। प्रार्थीया का नाम गायत्रीदेवी कभी नहीं रहा तथा न ही गायत्री देवी के नाम से प्रार्थीया जानी जाती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत पक्षकार बनाकर व प्रार्थीया के पते के अलावा अन्य पते पर गायत्री देवी को पक्षकार बनाकर नोटिस की तामील गलत रूप से कराकर एकतरफा आदेश पारित करवाया है, जो आदेश रेकर्ड के विपरित होने से रिव्यू किए जाने योग्य है। पारसमल, जो कि निगरानी पेश होने से पूर्व हो फौत हो चुका था, उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत की गई तथा गायत्री देवी, जो पारसमल की पत्नि ही नहीं थी, उसके नाम से नोटिस भेज कर गलत तामील करवाकर याचिका में रेकर्ड के विपरित आदेश पारित करवाया है, जो निरस्त योग्य है। पारसमल की पत्नि का नाम गायत्री देवी न होकर प्रकाशबाई है। न्यायालय द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि को खातेदारी मानते हुए पारसमल के नाम जारी पट्टे को निरस्त करने का आदेश पारित किया है, जबकि इसी भूमि में कई सरकारी कार्यालय एवं विभिन्न व्यक्तियों की दुकाने, मकान आदि बने हुए है। जिस बेचाननामा के आधार पर मनोहरसिंह ने उक्त भूमि पर अपना हक जताया है, वह बेचाननामा रजिस्टर्ड

अति० जिला कलक्टर, पाली

नहीं है। गलत रूप से पक्षकार संयोजित कर प्रार्थीया को बिना जानकारी में लाए प्रकरण प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध रूप से निस्तारण करवाया गया है, इस कारण निगरानी संख्या 30/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 को रिव्यू किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं निगरानी संख्या 30/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 को रिव्यू करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह पोषणीय नहीं है, क्योंकि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित है। मात्र टंकण की गलती या गणितीय भूल को रिव्यू के जरिये सुधारा जा सकता है, रिव्यू के जरिये आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। दिनांक 19.10.2011 की आदेशिका अनुसार पारसमल की पत्नि को नोटिस जारी हुआ है। प्रकाशबाई एवं गायत्रीदेवी दोनों एक ही है, जो पारसमल की पत्नि है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि कृषि भूमि होकर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि है, जिसमें से कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 ने क्रय किया है। ग्राम पंचायत को किसी कि खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। मदनराज ने उक्त पट्टा निरस्त होने के बावजूद भूमि का बेचान अणचीदेवी व सुखियादेवी के नाम से किया तथा उसके पश्चात दुदाराम के जरिये झूठा मुकद्दमा प्रस्तुत करवाया, जिसमे एफ0आर0 लगी। प्रार्थीया स्वयं को प्रकाशबाई होना बताती है, किन्तु प्रकाशबाई होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तथा न ही ऐसा कोई पंजीबद्ध पता प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थीया ग्राम पिपलिया कला में निवास नही करती हो तथा स्थाई रूप से बेंगलोर ही निवास करती हो। प्रार्थीया द्वारा रिव्यू की आड में प्रकरण में पारित निर्णय को बदलवाने का अनुतोष चाहा है, जो मात्र निर्णय की अपील/रिट याचिका से ही संभव है, रिव्यू के सीमित स्कोप में निर्णय का पुनः परीक्षण विधि अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीया का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। हस्तगत याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के राजस्व न्यायालय पर लागू होने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 में प्रावधान विहित है, जिसके अनुसार – 5. संहिता का राजसव न्यायालयों पर लागू होना – (1) जहॉ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमित मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाग, जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हे केवल ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होंगे, जैसा राज्य सरकर विहित करें। (1) उपधारा (1) में "राजस्व न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है, जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहीयों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किन्तु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहीयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरम्भिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता।" राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत किसी प्रकार में होने वाले निर्णय को पुनर्विलोकन करने की शक्ति इसी अधिनियम की धारा 97 की उप–धारा 3 में विहित है। इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत प्रकरण सुनवाई योग्य

अति० जिला कलक्टर, पाली

नहीं पाया जाता, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 97 (3) में consider किया जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है – क्या पूर्व में पारित आदेश किसी गलती से दिया गया है, चाहे वह गलती तथ्य की हो या विधि की ? (2) क्या पूर्व में पारित पारित किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश दिया गया है ? इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में पारित आदेश की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 मनोहरसिंह द्वारा पारसमल, गायत्री पत्नि पारसमल, गोविन्दराम, श्रीमति सुआ तथा ग्राम पंचायत के विरूद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पिपलिया कला द्वारा मिसल संख्या 55/1998–99 में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 25.10.1998 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 000440 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के नाम जो नोटिस जारी किए गए, उनमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 26.05.2011 को जारी नोटिस पर दिनांक 13.06.2011 को तामील कुनिन्दा द्वारा यह रिपोर्ट अंकित की कि अप्रार्थी संख्या 1 पारसमल का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नोटिस पर यह रिपोर्ट अंकित की कि बाहर गया, आबाद मकान पर चस्पा किया गया है। इस नोटिस पर दो मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए है। न्यायालय द्वारा इसे विधिवत तामील मानते हुए दिनांक 19.10.2011 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए तहसीलदार रायपुर से जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि अथवा खातेदारी भूमि में जारी करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें उन्होने स्पष्ट किया कि ग्राम पिपलिया कलां के खसरा नम्बर 432/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा की भूमि गोविन्दलाल पुत्र छोगा व सुवा पुत्र छोगा कौम सीरवी सा0 देह खातदार दर्ज है। इसी भूमि में पुरानी आबादी बसी हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए गए है। इस भूमि पर खातेदार का कब्जा नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नही होने के कारण जैर पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया है। जो विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दर्शित नहीं होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

जैर पुनर्विलोकनाधीन प्रकरण में पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किए जाने के कारण उक्त आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त किया गया है, जो विधिवत है। इसके अतिरिक्त रिव्यू की आड में आदेश को उलट दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, इसके लिए विधि में विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें आक्षेपित आदेश की अपील अथवा रिट, (जो भी लागू हों) ही समुचित उपचार है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 के तहत पोषणीय नहीं पाया जाता है।

अति० जिला कलक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा निगरानी संख्या 30/2011 मनोहरसिंह बनाम पारसमल के का0मु0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 07/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली